आरबीसी 6-4 के मुआवजा प्रकरणों का तीन माह में हो निराकरण, कलेक्टर सिंह ने ली समय सीमा की बैठक

रायगढ़ । आरबीसी 6-4 के प्रकरणों में मुआवजा प्रकरणों का भुगतान अधिकतम तीन माह में करना सुनिश्चित करें। इससे संबंधित मामला यदि पुलिस में दर्ज है तो उस पर भी त्वरित कार्यवाही करते हुये मुआवजा का भुगतान तत्काल करवाना है। अतः सभी राजस्व व पुलिस अधिकारी समय-सीमा का ध्यान रखें। उक्त बातें कलेक्टर भीम सिंह ने आज समय-सीमा की बैठक के दौरान कही। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि आरबीसी 6-4 के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करते हुए जल्द से जल्द प्रकरण का निराकरण करवायें। इससे परिजनों को जल्द मुआवजा मिल सके। उन्होंने आज तीन माह से अधिक लंबित प्रकरणों की समीक्षा की व 10 दिनों के अंदर प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिये।

कलेक्टर सिंह ने आज बैठक के दौरान जिले में कोविड उपचार की व्यस्थाओं की चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार छाल में भी 20 ऑक्सीजन बेड की सुविधा जल्द तैयार करने के निर्देश एसडीएम धरमजयगढ़ को दिये। इसके साथ ही सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ऑक्सीजन पाईप लाईन सुविधा तैयार करने के लिये प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश सीएमएचओ को दिये। शुरूआत में उन्होंने धरमजयगढ़, सारंगढ़ व चपले के स्वास्थ्य केन्द्रों में ऑक्सीजन पाईप लाईन विस्तार का कार्य प्रारंभ करने के लिये कहा। इसके साथ ही उन्होंने एमसीएच बिल्डिंग में कोविड संक्रमित बच्चों व गर्भवती महिलाओं के उपचार के लिये ऑक्सीजन बेड के साथ अन्य सुविधायें बढ़ाने का काम शुरू करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि आज 900 से अधिक गांव कोरोना मुक्त हो चुके है। इसे हमें जल्द शत-प्रतिशत करना है। इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये कंटेनमेंट नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने लगातार मास्क जांच अभियान चलाने के निर्देश दिये। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही करने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि बार्डर एरिया में लगातार जांच जारी रखी जाये। कहीं कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिये। कलेक्टर सिंह ने अस्पतालों के बेड व्यवस्था के रियल टाईम अपडेट करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर सिंह ने बैठक में गोधन न्याय योजना के संचालन की समीक्षा की। जिले में जोड़े गये नये 21 गौठानों में योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली। जिला पंचायत सीईओ डॉ.रवि मित्तल ने बताया कि 12 गौठानों में गोबर खरीदी चालू कर दी गई है तथा शेष 9 में शीघ्र चालू कर दी जायेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गोबर खरीदी के मामले में रायगढ़ जिला प्रदेश में शीर्ष में चल रहा है। कलेक्टर सिंह ने बैठक में सभी गौठानों के नोडल अधिकारियों को वहां निर्मित वर्मी कम्पोस्ट को समितियों में पहुंचाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि खरीफ की बुवाई का काम शुरू होने वाला है। किसान खाद बीज अधिक मात्रा में खरीदेंगे। उनकी सुविधा के लिये गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट उपलब्ध रहना चाहिये। कलेक्टर सिंह ने सभी गौठान जहां योजना संचालित है वहां नियमित रूप से खरीदी करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाने के कनवर्जन रेसियो को विशेष ध्यान देने के लिये कहा। शहरी गौठानों में भी वर्मी कम्पोस्ट निर्माण व उसकी बिक्री के लिये सभी सीएमओ को विशेष रूप से कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने समस्त एसडीएम उनके क्षेत्र अंतर्गत गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन की लगातार मानिटरिंग करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर सिंह ने गौठानों में बाहर रखे गोबर में डीकंपोजर डालकर सुपर कम्पोस्ट तैयार करने के लिये कहा। गौठानों में सोलर पम्प लगाने के कार्य में देरी पर गहरी नाराजगी जाहिर की और कार्य को जल्दी पूरा करने के निर्देश दिये। स्वावलंबी गौठान बनाने के लिये गौठानों में तैयार किये जा रहे मल्टी एक्टिविटी सेंटर के कार्य भी तेजी से पूरे करने के निर्देश उन्होंने दिये।

कलेक्टर सिंह ने मनरेगा के अंतर्गत जिले में संचालित कार्य की समीक्षा की। जिला पंचायत सीईओ डॉ.रवि मित्तल ने बताया कि मनरेगा में काम देने के मामले में जिला प्रदेश में दूसरे पायदान पर है। मई माह तक के लक्ष्य का हमने 200 प्रतिशत हासिल कर लिया है। मनरेगा के अंतर्गत एक लाख श्रमिकों को हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। कलेक्टर सिंह ने पटवारियों के रिकार्ड अद्यतन करने के निर्देश दिये। कलेक्टर सिंह ने मुख्यमंत्री जनदर्शन तथा कलेक्टर जनचौपाल के लंबित प्रकरणों के जल्द निराकरण के निर्देश दिये। कलेक्टर सिंह ने सभी गंभीर कुपोषित बच्चों को नियमित रूप से टिफिन के माध्यम से गरम भोजन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये।

महत्वपूर्ण एवं खास

कोविड ड्यूटी आदेश में आंशिक संशोधन

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह द्वारा जिले में स्थापित शासकीय कोविड हास्पिटल केजीएच, एमसीएच, केआईटी की संपूर्ण मॉनिटरिंग एवं राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों का स्क्रीनिंग टेस्ट एवं आइसोलेशन एवं सेम्पलिंग, टेस्टिंग एवं होम आईसोलेशन की मॉनिटरिंग हेतु कार्यालयीन आदेश अनुसार सहायक कलेक्टर प्रतीक जैन एवं सुश्री रोमा श्रीवास्तव की ड्यूटी लगाई थी। उक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु छ.ग.प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर के लिये भारमुक्त किये जाने के कारण पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर जिले में पदस्थ अन्य अधिकारियों को नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जारी आदेश के तहत शासकीय कोविड हॉस्पिटल केजीएच/एमसीएच/केआईटी की संपूर्ण मॉनिटरिंग एवं राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों का स्क्रीनिंग टेस्ट एवं आइसोलेशन हेतु डिप्टी कलेक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता को नोडल अधिकारी एवं सहायक संचालक मत्स्य एम.के.पाटले को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये है। साथ ही सेम्पलिंग/टेस्टिंग एवं होम आईसोलेशन की मॉनिटरिंग हेतु संयुक्त कलेक्टर सुश्री अभिलाषा पैंकरा को नोडल अधिकारी एवं सहायक संचालक उद्यानिकी डॉ.कमलेश दीवान को सहायक नोडल अधिकारी बनाये गये है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये ऋण हेतु 10 जून तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़ । राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को लाभान्वित करने हेतु वर्ष 2021-22 के लिये विभिन्न योजनाएं संचालित है। जिसके आवेदन कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, रायगढ़ के कक्ष क्रमांक-94 में प्राप्त कर 10 जून 2021 शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर सम्पर्क कर सकते है। कृषि एवं सहायक क्षेत्र-ट्रेक्टर ट्राली, कृषि, वनोपज क्रय-विक्रय, सब्जी फल उत्पादन, बागवानी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, कृषि विकास, वनोपज वनोषधि निर्माण, वर्मी कम्पोस्ट खाद निर्माण एवं विक्रय व्यवसाय, मशरूम की खेती, आदि क्षेत्रीय आवश्यकता जनित व्यवसाय। परिवहन क्षेत्र-ऑटो पैसेंजर व्हीकल, ऑटो गुड्स कैरियर, ऑटो रिक्शा पेट्रोल-डीजल, मारूति वेन, मालवाहक आदि परिवहन संबंधी समस्त वाहन। सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र-ब्यूटी पार्लर, नाई सेलून की दुकान, साईकिल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर रिपेयरिंग, घरेलू विद्युत फिटिंग वायरिंग, होटल, ढ़ाबा, सिलाई दुकान, ऑटो पाट्र्स, जूता-चप्पल दुकान, लॉण्ड्री, बेकरी की दुकान, किताब की दुकान, ढ़ाबा इकाई, इलेक्ट्रिक-इलेक्ट्रॉनिक दुकान, कम्प्यूटर दुकान, फल एवं सब्जी, फास्टफुड रेस्टोरेन्ट, जनरल स्टोर, किराना दुकान, जूस एवं कोल्डिंग सेन्टर, उर्वरक बीज दुकान, फोटोकॉपी सेन्टर, रेडीमेड गारमेंट, चूड़ी दुकान, बर्तन दुकान, साईकिल दुकान, एल्युमिनियम फ्रेबीकेशन, ऑटो मोबाईल रिपेयर, विडियोग्राफी, वर्क शॉप, क्लीनिक, दवाई दुकान, आटा चक्की, जूता बनाना, गैस वेल्डिंग, लेथ मशीन, प्लम्बर आदि आवरूयकताजनित व्यापार व्यवसाय। उद्योग क्षेत्र- मसाला उद्योग, टाटपट्टी दरी बुनाई व्यवसाय, मोमबत्ती निर्माण, साबुन निर्माण, काष्ठकला फर्नीचर व्यवसाय, स्टील फेब्रीकेशन पेटी निर्माण, पोहा मिल, हालर मिल, मिनी हालर मिल, फेब्रीकेशन यूनिट, सिमेंट पोल, टाईल्स निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग आदि आवश्यकताजनित उद्योग।नियम एवं शर्ते-आवेदक का आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होने पर 3 लाख रुपये से अधिक न हो, आवेदक संबंधित जाति वर्ग का हो। आवेदक रायगढ़ जिले का मूल निवासी हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक न हो, प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो। पूर्व में ऋण/अनुदान नहीं लिया हैं का शपथ पत्र, ट्रेक्टर ट्राली योजना के लिये 5 एकड़ कृषि भूमि होना अनिवार्य हैं एवं वाहन संबंधी योजना में आवेदक के पास वैध कर्मशियल ड्रायविंग लायसेन्स होना अनिवार्य हैं।

कोविड -19 से जंग जीतकर वापस लौटे 97 साल के खिलेश्वर प्रधान

रायगढ़ । सामुदायिक स्वा.केन्द्र लोईंग सेक्टर जामगांव उप स्वा.केन्द्र कुकुर्दा के ग्राम साल्हेओना निवासी 97 वर्षीय खिलेश्वर प्रधान कोविड से जंग जीतकर सकुशल घर वापस लौट गए हैं। खिलेश्वर प्रधान एवं उनकी पत्नी की बीते दिनों तबीयत खराब होने के कारण पास के एम.एस.पी पावर प्लांट में टेस्ट के लिये गये। एण्टीजन टेस्ट के अंतर्गत उनका रिपोर्ट निगेटिव आया दो दिन पश्चात आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट का रिपोर्ट पॉजीटिव आया, तो उनक घरवालों ने उन्हें तुरंत सामु.स्वा.केंद्र लोईंग अस्पताल में 17 मई 2021 को भर्ती कराया।

घर घुसकर महिला से छेड़खानी, आरोपी युवक गिरफ्तार

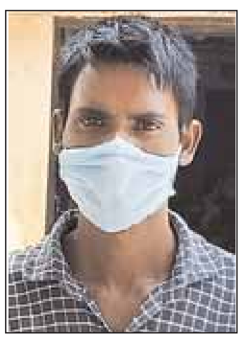

रायगढ़। थाना कोसीर में दिनांक 21-05-2021 को एक महिला थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 20-05-2021 को रात्रि करीब 10 बजे राजेश निराला घर में घुसकर इज्जत लूटने की नियत से हाथ, पांव को दबा रहा था और कपड़ो को खींच रहा था। जिससे बचने भाभी को चिल्लाई तब राजेश निराला घर से भाग गया। घटना भाभी को बताकर भाभी के साथ गांव के कोटवार को जानकारी दिये और डॉयल 112 को बुलवाये। उसके बाद राजेश के घर जाकर पता किये तो वह भाग गया था, पिडिता के रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 95/2021 धारा 456,354 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरार आरोपी राजेश कुमार निराला पिता उदेकुमार निराला उम्र 29 वर्ष थाना कोसीर को दिनांक 30/05/2021 को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया, माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट जारी किये जाने पर आरोपी को जेल दाखिल कराया गया है।

अवैध शराब पर तेज हुई कार्रवाई... पुसौर, कोतरारोड और कोतवाली में पकड़ी गई अवैध शराब

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष सिंह के दिशा निर्देशन पर पिछले कुछ दिनों से जिले में अवैध शराब की बिक्री व परिवहन पर कार्यवाही तेज कर दी गई है।

अवैध शराब के विरुद्ध पुसौर पुलिस द्वारा ग्राम टपरदा में महुआ शराब की अवैध भट्ठियों पर कार्यवाही के बाद दिनांक 31/05/2021 के शाम मुखबिर सूचना पर ग्राम शोढापाठ चौक मेन रोड , पुसौर में बोराडिपा की ओर से आ रही टाटा सूमो वाहन सीजी 13 यू 3926 को रोककर चालक से पूछताछ किए। चालक गौरी शंकर गुप्ता पिता चंक्रपाणी गुप्ता उम्र 41 वर्ष साकिन तेतला बीच बस्ती वाहन उसकी स्वयं की होना बताया, वाहन को चेक करने पर उसमें अंग्रेजी शराब मेक डावल नंबर 01 16 पाव, ,एम्पेरियल ब्लु विस्की 16 पाव, गोवा स्पेशल विस्की 25 पाव, देशी प्लेन मदिरा 01 पाव, कुल 58 पाव अंग्रेजी/देशी शराब जुमला कीमती 9,160 रूपये का शराब मिला। गौरी शंकर गुप्ता

शराब को अवैध बिक्री करने ले जाना बताया जिस पर उसकी टाटा सुमो क्रमांक सीजी13 यू 3926 (कीमती 5 लाख रूपये), एक मोबाईल पोलो (कीमती 12 हजार रूपये) तथा अवैध शराब को जप्त किया गया है। आरोपी पर थाना पुसौर में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई है। कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक इगेश्वर यादव, प्रधान आरक्षक नरेन्द्र सिदार, केशव प्रसाद देवता, आरक्षक लक्ष्मी पटेल, संदीप भगत और प्रदीप कुमार चौहान की सक्रिय भूमिका रही है।

दिनांक 31/05/21 को कोतवाली पुलिस की कार्यवाही में उर्दना डीपापारा मोहल्ले में पंकज कुमार मिंज पिता जोहन मिंज उम्र 21 वर्ष को 12 लीटर महुआ शराब के साथ तथा उर्दना बस्ती गली में सुनील उरांव पिता हरि उरांव उम्र 29 वर्ष निवासी उर्दना बस्ती थाना कोतवाली को 11 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है। दोनों पर थाना सिटी कोतवाली में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत अलग अलग कार्यवाही की गई है। थाना प्रभारी मनीष नागर के नेतृत्व में उप निरीक्षक नंदलाल पैंकरा, प्रआर राकेश शर्मा, समुंद रनकर, आरक्षक उत्तम सारथी, मनोज पटनायक एवं विनोद कुमार शर्मा कार्यवाही में शामिल थे।

कोतरारोड पुलिस द्वारा आज दिनांक 01.06.2021 को ग्राम जोरापाली चौक के पास मुखबिर सूचना पर नाकेबंदी कर मोटर सायकल क्रमांक सीजी13-जे-3730 में दो व्यक्तियों को पकड़े, जिनके पास से जरीकेन में महुआ शराब 15 लीटर जप्त किया गया है। आरोपीगण 1-दयाशंकर सिदार पिता कैलाश सिदार उम्र 24 वर्ष 2- उदल सिदार पिता मनोहर सिदार उम्र 40 वर्ष दोनों साकिनान कोसमनारा थाना कोतरारोड, धनागर की ओर से अवैध बिक्री के लिये शराब अपने घर कोसमनारा लाना बताये। आरोपियों से मोटर सायकल एवं अवैध शराब जप्त कर थाना कोतरारोड़ में धारा 34(2), 59क आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई है। थाना प्रभारी चमन सिन्हा के निर्देशन पर प्रधान आरक्षक प्रेमसिदार, आरक्षक बिहारी एक्का, महेश पंडा, संदीप कौशिक, कमलेश यादव, टिकेश्वर प्रसाद यादव कार्यवाही में शामिल थे।

चार पुलिसकर्मी हुए सेवानिवृत्त, पुलिस कार्यालय में दी गई विदाई

रायगढ़। जिला पुलिस बल रायगढ़ में कार्यरत प्रधान आरक्षक प्रेम लाल पटेल, स्टीफन कुजूर, शिवनारायण पोर्ते तथा चालक आरक्षक ललित तिवारी सेवारत रहते अपनी अर्द्धवार्षिकी आयु 62 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत 31 मई 20 21 को सेवानिवृत्त हुए जिन्हें आज दिनांक 01/06/2021 को पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय डीएसपी एवं कार्यालय स्टाफ की उपस्थिति में ससम्मान विदाई दी गई है।

कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यक्रम में सीमित लोगों की उपस्थिति थी। कार्यक्रम के प्रारंभ में रक्षित निरीक्षक अमरजीत खुंटे द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों के संक्षिप्त सेवा विवरण से सभी को अवगत कराया गया। वे बताए कि सेवानिवृत्त हो रहे सभी पुलिसकर्मी करीब 39-40 वर्ष विभाग में सेवा दिए हैं। प्रधान आरक्षक प्रेमलाल पटेल, चौकी जूटमिल, स्टीफन कुजूर थाना छाल, शिवनारायण पोर्ते थाना कोतरारोड तथा चालक आरक्षक ललित तिवारी रक्षित केंद्र में कार्यरत थे।

विदाई कार्यक्रम में सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों द्वारा एक-एक कर अपने सेवा काल के खट्टे-मीठे अनुभव उपस्थित स्टाफ के साथ साझा किए। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों को लंबी सेवा के लिए विभाग की ओर से कृतज्ञता जाहिर किए और उन्हें वर्तमान समय को देखते हुए स्वयं एवं अपने परिजनों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह देते हुए उनके स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य की कामना किये।

एडिशनल एसपी (आईयूसीएडब्ल्यू) डॉ. राजेंद्र प्रसाद भैया ने कहा कि विभाग में स्वस्थ एवं बेदाग होकर रिटायर होना पुलिसिंग के नजरिए से बहुत बड़ी सफलता है। वे सेवानिवृत्तों को उज्जवल, मंगलमय, दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं दिए।

एसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा वर्तमान पुलिसिंग को बेहद चुनौतीपूर्ण बताते हुए पुलिसकर्मियों को विभाग में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया करने को मिलता है बताए और बोले कि जब कभी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है साथ ही जब हमारे कार्य की समाज में प्रशंसा होती है तो वह सर्वश्रेष्ठ है। आप सभी इतने लंबे समय में कई अच्छे कार्य किये होंगे जो पुलिसिंग के लिए महत्वपूर्ण होगी। जिनके लिए विभाग आपका कृतज्ञ है। उन्होंने सेवानिवृत पुलिसकर्मियों से कहा कि आप सभी को जब कभी भी विभाग की ओर से कुछ मदद की आवश्यकता हो या कुछ सुझाव विभाग के लिये हो तो निसंकोच विभाग के पास आये। उनके द्वारा सभी के उज्जवल भविष्य व स्वास्थ्य जीवन के लिए शुभकामनाएं दिया गया। एसपी संतोष सिंह द्वारा विदाई कार्यक्रम में सभी सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों का शॉल, श्रीफल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया तथा ऑफिस स्टाफ द्वारा भी सेवानिवृत्तों को पुष्प गुच्छ भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी गई है।

घर पर गैस सिलिंडर से बना रहे थे, महुआ शराब, टीआई अमित शुक्ला ने की कार्रवाई

» 65 लीटर महुआ शराब, गैस सिलिंडर व चूल्हा जब्त

रायगढ़। ग्रामीण क्षेत्रों में जंगल अंदर चोरी छिपे मिट्टी की भट्ठी पर लकडी जलाकर महुआ शराब बनाने के मामलों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं आज शहर भीतर एक घर अंदर गैस सिलिंडर पर महुआ शराब बनाने की सूचना टीआई अमित शुल्का को मिली जिस पर उनके द्वारा स्टाफ के साथ शराब रेड कार्यवाही की गई है। जानकारी के मुताबिक आज दिनांक 01-06 -2021 को पुलिस चौकी जूटमिल प्रभारी निरीक्षक अमित शुक्ला को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की जूटमिल गांधीनगर का रहने वाला बबलू सोनी उर्फ मनदीप सिंह सोनी अपने घर में महुआ शराब गैस सिलिंडर में भट्टी चढ़ाकर बना रहा है। सूचना पर हमराह प्रधान आरक्षक मो. दिलदार कुरैशी, आरक्षक बनारसी सिदार, किर्तन यादव, सत्या यादव के साथ बबलू सोनी के घर पर दबिश दिये। आरोपी अपने घर में गैस

सिलेंडर चूल्हा में हाथ भट्टी का महुआ शराब बना रहा था। मौके पर गवाहों के समक्ष आरोपी के कब्जे से अलग-अलग डब्बों में बनाकर रखा हुआ 65 लीटर महुआ शराब करीब एवं शराब बनाने प्रयोग में लाये गये 1 नग सिलेंडर, चूल्हा तथा 2 नग डेचकी को जप्त कर चौकी लाया गया। आरोपी बबलू सोनी उर्फ मनदीप सिंह सोनी पिता जनरैल सिंह उम्र 31 वर्ष निवासी गांधीनगर पुलिस चौकी जूटमिल थाना कोतवाली के विरूद्ध धारा 34 (2) 59 (क) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

अनुकंपा नियुक्ति पर मुख्यमंत्री के निर्णय का लाभ, जिले में 65 दिवंगत कर्मचारी के आश्रितों को दी गई अनुकंपा नियुक्ति

» 22 और 26 मई 2021 को दिवंगत हुए कर्मचारियों के आश्रितों को महज 5 से 8 दिनों के भीतर मिली अनुकंपा नियुक्ति

» कलेक्टर भीम सिंह ने सभी नियुक्ति प्राप्त परिजनों को दी शुभकामनाएं

रायगढ़ । अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में दस प्रतिशत की सीमा शिथिल करने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्णय से युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के द्वार खुल गये हैं। यह सीमा 31 मई तक शिथिल की गई थी। 10 प्रतिशत की सीमा के शिथिल होने से शिक्षा विभाग के 65 दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी गयी। छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद की बैठक में तृतीय श्रेणी के पदों पर 31 मई 2021 तक 10 प्रतिशत बंधन सीमा को शिक्षित करने के लिए गए निर्णय के परिपालन में कलेक्टर भीम सिंह द्वारा डीईओ आर.पी.आदित्य को प्राप्त प्रकरणों को त्वरित निराकृत करने के मिले निर्देशानुसार 65 दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई। कलेक्टर सिंह ने दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने परिजनों के प्रति सहानुभूति व संवेदना व्यक्त करते हुए भविष्य में अच्छे कार्य निष्पादन हेतु अपनी शुभकामनाएं दी।

उल्लेखनीय है कि इस प्रक्रिया में 22 मई व 26 मई 2021 को दिवंगत हुए कर्मचारियों से आवेदन मंगाकर उनके आश्रितों को भी अनुकंपा नियुक्ति दी गई। जिनमें 22 मई 2021 को दिवंगत हुए स्वर्गीय पारस नाथ नायक व्याख्याता, शा.उ.मा.वि., तौसीर बरमकेला की आश्रित श्रीमती समिता नायक को शा.उ.मा.वि.बोन्दा बरमकेला रायगढ़ एवं स्वर्गीय तौरन सिंह सिदार, प्र.पा.शा.उ.मा.वि.झिगोल तमनार के आश्रित नेमिष जगत को हाई स्कूल जिवरी तमनार तथा 26 मई को दिवंगत हुए स्वर्गीय कृष्णदेव मिश्रा शिक्षक एलबी शा.मा.शा.गोरखा रायगढ़ के आश्रित श्रीमती श्वेता मिश्रा को शा.बहु.उ.मा.वि.नटवर में महज 5 से 8 दिनों के भीतर ही अनुकंपा नियुक्ति दी गई। विदित हो कि पात्र 65 दिवंगत कर्मचारियों में ई-संवर्ग के 31 तथा टी संवर्ग के 34 आवेदकों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय की गई है। शेष 38 व 2 कुल 40 प्रकरणों में आपत्ति निराकरण हेतु आगामी 2 जून को आवेदकों को 11 बजे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायगढ़ बुलाया गया है।

❑ **कलेक्टर ने की दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों से बात, दी नए पदस्थापना की शुभकामनाएं-** कलेक्टर भीम सिंह ने दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों से बात करते हुए मृत कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति व संवेदना प्रकट की व उन्हें नवीन पदस्थापना की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मचारी हितों का ध्यान रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति मे 10 प्रतिशत पदों की बंधन सीमा को शिथिल किया है। इससे दिवंगत के परिवारों को संबल मिलेगा, उनके जीवन मे खुशियां आएंगी। आप सभी को नयी पदस्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आप सभी को बहुत मेहनत करनी है। अपने व अपने परिवार के नाम व जिंदगी को रोशन करना है। आप सभी को भविष्य में और अधिक मेहनत से कार्य निष्पादन कर अपनी पहचान बनानी है।

❑ **क्या कहना है डीईओ का-** जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी.आदित्य का कहना है कि वर्ष 2018 से लेकर आज दिनांक तक के कुल 65 हितग्राहियों को अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। अब तक विभाग को मिले कुल 111 आवेदनों में से कुल 38 प्रकरणों पर आपत्ति सहित, 5 नाबालिक प्रकरण, 2 न्यायालयीन प्रकरण तथा 1 संचालक मार्गदर्शन वाले प्रकरण हैं। इनमें से 40 प्रकरणों पर आपत्ति निराकरण कर 2 जून को निर्णय लिया जाएगा। जिस हेतु हमनें आवेदकों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बुलाया है। अनुकंपा नियुक्ति के इस सम्पूर्ण कार्य में पूरे कार्यालय ने टीम वर्क के साथ इस कार्य को अंजाम दिया है और शिक्षकों के सभी प्रकार के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु हम पूर्ण प्रतिबद्ध व सतत् प्रयासरत हैं।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480